न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू

(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

प्राथना पत्र संख्याः– 554/2025 दर्ज तिथिः–27.11.2025

समशुदीन पुत्र मदरू दीन जाति कलाल निवासी वार्ड नं. 19 कलालों की मस्जिद के पास, तारानगर जिला चूरू

–प्राथी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

–अप्रार्थी–

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री मुकेश शर्मा।
प्रतिवादीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 19-12-2025

1.आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषिभूमि ख. नं. 583/213 तादादी 0.4378 हैक्टेयर, ख. नं. 584/259 तादादी 0.4011 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8389 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की कब्जा व खातेदारी की कृषिभूमि है जिसमें प्रार्थी सम्पुर्ण हिस्सा का खातेदार व काश्तकार है। उक्त कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम समशुदीन व उसके पिता का वास्तविक नाम मदरू दीन है के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में सामान्य बोलचाल का नाम होने से प्रार्थी का नाम समसुदीन तथा प्रार्थी के पिता का नाम बदरूखां दर्ज कर दिया गया व उसी आधार पर उक्त रोही ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम समसुदीन व उसके पिता का नाम बदरूखां चला आ रहा है जो गलत अंकित हो गया है इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम सुमशुदीन व उसके पिता का नाम मदरू दीन दर्ज होना चाहिए था। उक्त खातेदारी के अलावा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम समशुदीन व उसके पिता का नाम मदरू दीन है । राजस्व रिकॉर्ड रोही मौजा ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर में अंकित नाम व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित नाम से भिन्नता होने से प्रार्थी को भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। बैंक के.सी. सी. कार्ड बनाकर नहीं दे रहा है जिससे प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपना व अपने पिता का नाम समसुदीन पुत्र बदरूखां राजस्व रिकॉर्ड रोही मौजा ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना व अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया।

Rajendra

2.प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी समशुदीन पुत्र मदरू दीन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और बयान लेखबद्ध करवाये। वकील प्रार्थी ने पत्रावली के संलग्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरस्त करवाने का निवेदन किया। मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात, प्रार्थी के शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

3.प्रकरण में तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका विवरण इस प्रकार है:– कि रोही ढ़ाणी छतुसिंह की जमांवदी संवत 2074–2077 के खाता सं. 103, खं. नं. 583/213, 584/259 में प्रार्थी का नाम समसुदीन पुत्र बदरूखां जाति कलाल निवासी तारानगर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों व पूछताछ में इनका नाम समसुदीन पुत्र मदरू दीन जाति कलाल निवासी तारानगर पता चला है। अतः उक्त जमावंदी में इनका नाम समसुदीन पुत्र मदरू दीन जाति कलाल निवासी तारानगर किया जाना उचित है।

4.उक्त विश्लेषण एवं तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है कृषिभूमि ख. नं. 583/213 तादादी 0.4378 हैक्टेयर, ख. नं. 584/259 तादादी 0.4011 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8389 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम समसुदीन पूत्र बदरूखां के स्थान पर समशुदीन पुत्र मदरू दीन दर्ज करना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार तारानगर रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार तारानगर रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं कृषिभूमि ख. नं. 583/213 तादादी 0.4378 हैक्टेयर, ख. नं. 584/259 तादादी 0.4011 हैक्टेयर कुल तादादी 0.8389 हैक्टेयर वाके रोही मौजा ढ़ाणी छतुसिंह तहसील तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम समसुदीन पूत्र बदरूखां के स्थान पर समशुदीन पुत्र मदरू दीन दर्ज किया जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.12.2025 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हलका दिनांक 09.12.2025 निर्णय का भाग रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारागनर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 19-12-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)